राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. प.5(1)डीओपी/ए–II/2018 जयपुर, दिनांक 3/10/2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, मृत रक्षा कार्मिकों (बैटल कैजुअल्टी) के आश्रितों की नियुक्ति विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2018 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तार.– राज्य की विभिन्न सेवाओं में व्यक्तियों की भर्ती विनियमित करने वाले किन्हीं भी सेवा नियमों या इसमें इसके पश्चात् बनाये गये नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, 15.08.1947 से 31.12.1970 तक की कालावधि के दौरान राजस्थान के मृत बैटल कैजुअल्टी रक्षा कार्मिकों के आश्रित विभिन्न सेवा नियमों में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे और उन्हें किसी विशिष्ट पद के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किया जायेगा।

3. परिभाषाएं.– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है और इसमें, ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे सरकार द्वारा विशेष या साधारण आदेश के माध्यम से, सुसंगत सेवा नियमों, यदि कोई हों, के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं, सम्मिलित है;

(ख) "सशस्त्र बल कार्मिक" से संघ की सेना, नौसेना और वायुसेना के कार्मिक अभिप्रेत हैं;

(ग) "बोर्ड" से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "आयुक्त/निदेशक" से राजस्थान के संबंधित विभाग का आयुक्त/निदेशक अभिप्रेत है;

(ङ) ''रक्षा कार्मिक'' से संघ के सशस्त्र बलों (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना) का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(च) ''कुटुम्ब के सदस्य'' से मृत व्यक्ति का पति/पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, पुत्री/दत्तक पुत्री, पौत्र/दत्तक पौत्र, पौत्री/दत्तक पौत्री अभिप्रेत है और इसमें रक्त संबंधियों में कुटुम्ब के सदस्य अर्थात् भाई/बहन आदि भी सम्मिलित हैं;

(छ) ''सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है; और

(ज) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

4. नियुक्ति का कतिपय शर्तों के अध्यधीन होना.– कोई सशस्त्र बल कार्मिक (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना) जिसकी सेवा में रहते हुए, युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाई और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों को सम्मिलित करते हुए, किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मृत्यु हो गयी हो और जिसे प्राधिकृत सशस्त्र बल मुख्यालय द्वारा 15.08.1947 से 31.12.1970 तक की कालावधि के दौरान बैटल कैजुअल्टी घोषित किया गया हो, उसके कुटुम्ब के सदस्यों में से किसी एक सदस्य पर सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा, इस शर्त के अध्यधीन, कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां मृत सैनिक के कुटुम्ब के सदस्यों में से कोई सदस्य केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड, संगठन/निकाय के अधीन 31.12.1970 से पूर्व नियमित आधार पर पहले से नियोजित है।

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा/जीवित पति/पत्नी स्वयं के लिए नियोजन चाहता/चाहती है।

5. पदों का चयन.– (1) मृत सरकारी कर्मचारी की रैंक और हैसियत का विचार किये बिना, वेतन लेवल 1 से 9 तक वाला कोई पद और जो अधीनस्थ सेवाओं/लिपिकवर्गीय सेवाओं/या, यथास्थिति, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिये तात्पर्यित हो, उस पर नियुक्ति के लिए कुटुम्ब सदस्य पर, उसकी शैक्षिक अर्हता और सेवा की अन्य शर्तों को पूर्ण किये जाने के अनुसार, विचार किया जा सकेगा।

(2) इन नियमों के अधीन किसी पद पर एक बार कोई नियुक्ति हो जाती है तो इन नियमों के अधीन आशयित फायदा उपभुक्त किया हुआ माना जायेगा और किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए मामला पुनः खोला नहीं जायेगा।

6. अर्हताएं.– (1) नियुक्ति के समय कुटुम्ब के सदस्य के पास संबंधित सेवा नियमों के अधीन उस पद के लिए विहित अर्हताएं होनी चाहिएं।

(2) नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के समय, पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं में छूट दी जायेगी।

(3) कुटुम्ब के सदस्य की नियुक्ति से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि वह उसके चरित्र, शारीरिक उपयुक्तता और संबंधित सेवा नियमों में विहित अन्य साधारण शर्तों को पूर्ण करने के संबंध में सरकारी सेवा के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

7. आयु.– नियुक्ति के समय कुटुम्ब का सदस्य संबंधित सेवा नियमों के अधीन पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर–भीतर होना चाहिए:

परन्तु आयु की गणना के लिए निर्णायक तारीख, नियुक्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख होगी। उपयुक्त पद की व्यवस्था में लगा समय कुटुम्ब के सदस्य को निरर्हित नहीं करेगा, यदि वह उस कालावधि के दौरान अधिक आयु का हो जाता/जाती है।

8. वरीयता क्रम.– इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम निम्नलिखित होगा,–

(क) यदि शहीद की विधवा जीवित है, तो विधवा द्वारा नामनिर्देशित वर्ग–**I** का उत्तरजीवी;

(ख) यदि शहीद की विधवा जीवित नहीं है तो आयु की वरिष्ठता के अनुसार वर्ग–**I** का उत्तरजीवी और यदि वर्ग–**I** के उत्तरजीवी जीवित न हों तो आयु की वरिष्ठता के अनुसार वर्ग–**II** का उत्तरजीवी; और

(ग) यदि शहीद अविवाहित था तो, आयु की वरिष्ठता के अनुसार शहीद का भाई/बहिन।

9. प्रक्रिया संबंधी अपेक्षा आदि.– आरंभिक नियुक्ति के समय, चयन के लिए प्रक्रिया संबंधी अपेक्षा, जैसे कि प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, स्थायीकरण का हकदार होने के लिए तीन वर्ष की कालावधि के भीतर–भीतर कुटुम्ब के

सदस्य से ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जिसमें असफल रहने पर, उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई वार्षिक वेतन वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप में वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

टिप्पणः इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसा परीक्षण सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना/परिपत्र के अधीन सशक्त समिति द्वारा संचालित किया जायेगा।

10. प्रक्रिया.– (1) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों में से किसी एक सदस्य द्वारा उपरोक्त नियम 8 के अनुसार, वरीयता क्रम में आवेदन किया जायेगा और उक्त प्रवर्ग के अन्य कुटुम्ब–सदस्यों को उसके/उसकी अभ्यर्थिता के लिए अपनी सहमति देनी होगी।

(2) इस प्रयोजन के लिए ऐसे कुटुम्ब के सदस्य, संबंधित सशस्त्र बल मुख्यालय, जिससे कि मृत्यु के समय मृतक संबंधित था, द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित आवेदन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(3) आवेदन में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी:–

(i) मृत (बैटल कैजुअल्टी) सशस्त्र बल कार्मिक का नाम और पदनाम;

(ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु से पूर्व कार्य कर रहा था/रही थी; और

(iii) सशस्त्र बलों के सक्षम मुख्यालय द्वारा जारी बैटल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र।

(4) ऐसे कुटुम्ब सदस्य का आवेदन, कुटुम्ब सदस्य के पास धारित अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति के उपलब्ध न होने की दशा में, आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो उसकी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो तो आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा सरकार के कार्मिक विभाग को नियुक्ति प्रदान कराने के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) यदि आवेदक की अर्हता के अनुसार कोई उपयुक्त पद रिक्त न हो तो संबंधित विभाग या प्राधिकारी उस मामले को उपयुक्त वैकल्पिक रिक्ति उपलब्ध कराने के लिए कार्मिक विभाग को अग्रेषित करेगा।

11. अध्यारोही प्रभाव.– इन नियमों के प्रारंभ में प्रवृत किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इन नियमों और इनके अधीन जारी किसी आदेश का अध्यारोही प्रभाव रहेगा।

12. नोडल विभाग.– कार्मिक विभाग के परामर्श से सैनिक कल्याण विभाग इन नियमों के प्रशासन के प्रयोजन के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और वह ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश कर सकेगा जो वह इन नियमों के समुचित क्रियान्वयन के लिये आवश्यक या समीचीन समझे।

13. संदेहों का निराकरण.– यदि इन नियमों के लागू होने और इनके विस्तार के विषय में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो वह सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

14. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.– राज्य सरकार, इन नियमों के किसी भी उपबंध के क्रियान्वयन में किसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए कोई साधारण या विशेष आदेश, जो वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे, कर सकेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

3/10/2018

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

57/2018.